जाट सभा चंडीगढ़/पंचकुला
जाट भवन, 2-बी, सैक्टर 27 ए, मध्य मार्ग, चंडीगढ़
दूरभाष : 0172-2641127, 2654932,
ई-मेल : jat_sabha@yahoo.com

सार्वजनिक अपील

जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज समस्त विश्व कोरोना वायरस की महामारी के संकट के दौर से गुजर रहा है, जिसने आमजन के स्वास्थ्य के साथ-साथ राष्ट्र की वित्तीय व्यवस्था को भी डांवाडोल कर दिया है। हरियाणा भी इस महामारी से अछूता नहीं है, दिन-प्रतिदिन कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह जानलेवा बीमारी लंबे समय तक चल सकती है।

देश एवं प्रदेश में विकट हालातों के मद्देनजर जाट सभा द्वारा अपने दोनों भवनों :- सैक्टर-27 चंडीगढ़ स्थित **जाट भवन** तथा पंचकुला के सैक्टर-6 स्थित **सर छोटूराम भवन** तथा **चौधरी छोटूराम सेवा सदन** कटरा-जम्मू के 10 कनाल के प्लाट को कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए संबंधित प्रशासन/सरकारों को सौंप दिया गया है। पंचकुला स्थित **सर छोटूराम भवन** तो स्वास्थ्य विभाग पंचकुला के उन डॉक्टरों की टीम को रहने के लिए दिया गया है जो कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज करने में सेवारत हैं।

जाट सभा पंचकुला/चंडीगढ़ हमेशा ही समाजसेवा के कार्यों में अग्रणी रहती है। वर्तमान कोरोना वायरस की महामारी के संकट को देखते हुए जाट सभा ने पीड़ितों की सहायता के लिए **'हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड'** में **एक लाख 11 हजार रूपए** की राशि अनुदान में दी है, यह प्रयास आप सभी के सहयोग से आगे भी जारी रहेगा। जाट सभा पंचकुला/चंडीगढ़ के पास इस प्रकार की आपदाओं या महामारी के लिए अपना कोई स्थाई कोष नहीं है और ऐसी परिस्थितियों में आप सभी दानी सज्जनों के सहयोग से वित्तीय अनुदान का प्रबंध किया जाता है।

इसलिए आप सभी से नम्र निवेदन है कि राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक आपदा की इस घड़ी में सार्वजनिक हित को देखते हुए अपनी इच्छा अनुसार भरपूर आर्थिक सहयोग एवं हर संभव सहायता प्रदान करें। इसके साथ ही इस भयंकर बीमारी से बचाव हेतु सरकार द्वारा घोषित कर्फ्यू/लॉकडाऊन व इस संदर्भ में जारी सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

जाट सभा को दी जाने वाली अनुदान राशि '**जाट सभा चंडीगढ़**' के पक्ष में **चैक/डिमांड ड्राफ्ट** की मार्फत जाट भवन, 2बी, सैक्टर-27ए, मध्य मार्ग चंडीगढ़-160019 में भेजी जा सकती है। इसके अलावा, धनराशि एनएफटी/आरटीजीएस द्वारा जाट सभा चंडीगढ़ के बचत खाता नंबर-50100023714552 , आईएफएससी कोड-एचडीएफसी 0001324 में सीधे ट्रांसफर की जा सकती है। अनुदान की राशि आयकर अधिनियम की धारा-80 सी के तहत आयकर से मुक्त है।

निवेदक : आर. के मलिक
महासचिव, जाट सभा चंडीगढ़/पंचकुला